संख्या–1415/22–4–2011–48(43)/99टी0सी0

प्रेषक,

एन0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–4 लखनऊःदिनांक–07 अप्रैल, 2011

विषयः– प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष एवं विचाराधीन बंदियों से कराये जाने वाले श्रम के बदले भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–30771/उद्योग–1/32/2010, दिनांक–16 नवम्बर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–489पी/22–4–2000–48(43)/99, दिनांक–6.4.2000 में उल्लिखित उ0प्र0 की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों एवं ऐसे विचाराधीन बन्दियों जिनके द्वारा स्वेच्छा से कारागारों में संचालित उद्योगों, कृषि कार्यो, बागवानी, पाकशाला एवं विभिन्न अन्य कार्यो में श्रम किया जाता है, को कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल श्रम के बदले देय मजदूरी की वर्तमान दरों क्रमशः रू0–18/–, रू0–13/– एवं रू0–10/–प्रतिबन्दी प्रतिदिन को बढ़ाकर क्रमशः रू0–40/–,रू0–30/– एवं रू0–25/–प्रतिबन्दी प्रतिदिन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–6.4.2000 में उल्लिखित प्राविधान एवं शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3– पारिश्रमिक की बढ़ी हुई उक्त दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

4– इस निमित्त होने वाला व्यय आय–व्ययक के अनुदान संख्या–25 के अधीन लेखाशीर्षक "2056–जेले–आयोजनेत्तर–101–जेल–03–समस्त कारागार–02–मजदूरी, तथा 2056–जेले–आयोजनेत्तर–102–जेल उत्पाद–03–समस्त कारागार–02–मजदूरी" के नामे डाला जायेगा।

PTO

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–12–982/दस–2011, दिनांक–07 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0के0सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–1415(1)/22–4–2011,तद दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल–आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक,कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।
5– वेबमास्टर, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
6– गृह (पुलिस) अनुभाग–15
7– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12/वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/2
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0के0सिंह)
विशेष सचिव।

मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

शासनादेश पृ0 संख्या–9786–58/उद्योग–1/32/2011 लखनऊ दिनांक 08 अप्रैल, 2011

शासनादेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार उत्तर प्रदेश/पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।

08-4-11

(एम0 एल0 प्रकाश)
अपर महानिदेशक कारागार (वि0),
उत्तर प्रदेश।